रक्षा कार्मिकों के सेवा संबंधी मामलों का न्यायालयों में लम्बित पड़ा होना

1423. **श्री अजीत जोगी :**

कुमारी आलिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 नवम्बर, 1990 की स्थिति के अनुसार रक्षा अधिकारियों/सैनिकों के सेवा संबंधी कितने मामले उच्चतम-न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में लम्बित पड़े हैं ;

(ख) क्या सरकार रक्षा कार्मिकों के सेवा संबंधी मामलों को किसी आन्तरिक प्रणाली के माध्यम से निपटाने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) 30-11-1990 की स्थिति के अनुसार उच्चतम न्यायालय में 100 मामले और विभिन्न उच्च न्यायालयों में 1233 मामले लम्बित पड़े हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Doordarshan Kendra at Aizwal

1424. SHRI MOHAMMED AMIN: Will the PRIME MINISTER. "be' pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Aizwal Doordarshan Kendra does not have a telephone connection;

(b) whether it is also a fact that the city is far away from the Doordarshan Kendra; and

(c) if so, whether a telephone line will be sanctioned for the Kendra soon at least from security point of view?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI SUBODH KANT SAHAY): (a) to (c) Two telephones have been provided at T. V. transmitting station, Aizwal, which is situated about 12 KMs away from ths city.

कृषि मजदूरों की मजदूरी में संशोधन

1425. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 15 वर्षों के दौरान ग्रामीण और कृषि मजदूरों की मजदूरी में कितनी बार संशोधन किया गया ; और

(ख) विभिन्न राज्यों में कृषि मजदूरों के लिए मजदूरी की वर्तमान दरें क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) पिछले 15 वर्षों के दौरान ग्रामीण और कृषि श्रमिकों की मजदूरी में किये गये संशोधनों की संख्या के सम्बन्ध में इस मंत्रालय द्वारा सूचना नहीं रखी जाती है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधीन ग्रामीण कृषि श्रमिकों की न्यूनतम दरों के नियतन/संशोधन के लिए राज्य सरकारें समुचित सरकारें हैं।

(ख) विभिन्न राज्यों में कृषि श्रमिकों के लिए विद्यमान मजदूरी के सम्बन्ध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। **(नीचे देखिए)**